प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 162/2026)

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भा.दू.वि.प्रा. ने हितधारकों के साथ परामर्श के लिए 'दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों' का मसौदा जारी किया।

नई दिल्ली, 26 नवंबर 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.) ने 30.10.2026 को हितधारकों के साथ परामर्श के लिए 'दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों' का मसौदा जारी किया था। मसौदा दिशानिर्देशों पर हितधारकों से 27.11.2026 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।

2 कुछ हितधारकों द्वारा टिप्पणियाँ जमा करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियाँ जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 04.12.2026 करने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भा.दू.वि.प्रा. को ईमेल पते advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भा.दू.वि.प्रा. से दूरभाष संख्या +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

26/11/2026

(हरिन्द्र कुमार)

सचिव, भा.दू.वि.प्रा.